

UPJB010045442026



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी) एक्ट,
अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी-श्रीमती शैलजा राठी(उच्चतर न्यायिक सेवा)

अजयवीर सिंह बनाम चंद्रप्रकाश उर्फ गोलू आदि ।

विविध वाद सं०- 191/2026

धारा-173(4) बी.एन.एस.एस.

थाना-रजबपुर, जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांक:-29.07.2026

आवेदक अजयवीर सिंह की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 थाना रजबपुर, जिला अमरोहा के प्रकरण में विपक्षीगण चंद्रप्रकाश उर्फ गोलू आदि के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर बल न देने का उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा आदेश पत्रक पर "श्रीमान जी बल नहीं देना है" का अंकन भी किया गया है।

अतः आवेदक की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 बल न देने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक अजयवीर सिंह की तरफ से प्रस्तुत विविध वाद अन्तर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के बाद नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शैलजा राठी)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस.सी./एस.टी. एक्ट)

अमरोहा।